न्यायालय सत्र न्यायाधीश, अयोध्या।

पीठासीनः रणंजय कुमार वर्मा (UP01908)... एच०जे०एस०

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद (टी०ए०) सं०–43/2026

रमेश चन्द्र पाल पुत्र श्री सोम नाथ पाल निवासी एल०आई०जी० 400 आवास विकास कालोनी अमानीगंज, अयोध्या।

..... आवेदक।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य। ..... विपक्षीगण।

10.06.2026

1. पत्रावली प्रस्तुत हुयी। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। विपक्षी सं०–1 उ०प्र० राज्य की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी एवं विपक्षी सं०–2 व 3 क्रमशः प्रबोध चन्द्र रस्तोगी व मनोज कुमार सिंह की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता भी उपस्थित हैं।

2. प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र 3 क आवेदक की ओर से न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अयोध्या में विचाराधीन दाण्डिक वाद सं०–12332/2020 सरकार बनाम प्रबोध चन्द्र रस्तोगी व अन्य अपराध सं०–421/2020, धारा 354, 354 डी, 323, 504, 506 भा०द०सं०, थाना कोतवाली नगर, जिला अयोध्या की पत्रावली को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किए जाने के आशय से प्रस्तुत किया गया है। आवेदक का कथन है कि वह प्रश्नगत वाद का वादी मुकदमा व पीड़ित पक्ष है और वह एक नर्सिंग होम का संचालन करता है, जबकि विपक्षीगण उक्त वाद के अभियुक्तगण हैं। यह भी कथन किया है कि अभियुक्त/बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्री रामकृष्ण तिवारी पूर्व में शासकीय अधिवक्ता रहे हैं और उक्त् पद पर रहते हुए अभियुक्तगण द्वारा योजित अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर सत्र न्यायालय में उनके द्वारा अभियोजन/वादी की ओर से जमानत का विरोध किया गया था। उक्त सम्बन्ध में वादी होने के कारण आवेदक से समस्त आवश्यक जानकारी उपरोक्त अधिवक्ता प्राप्त कर चुके थे और समस्त तथ्य से परिचित थे। कालान्तर में अभियुक्तगण ने श्री रामकृष्ण तिवारी को उसी मामले में अभियुक्त के पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त कर लिया, जो विधि व्यवसाय के नैतिक मूल्यों के विपरीत है। आवेदक/वादी द्वारा उपरोक्त तथ्यों से प्रश्नगत न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अवगत कराया गया, किन्तु पीठासीन अधिकारी ने उन्हें बचाव पक्ष के अधिवक्ता के रूप में पैरवी करने से हटाए जाने का आदेश पारित नहीं किया और आवेदक/वादी के प्रार्थनापत्र को निरस्त कर दिया। तब से अभियुक्तगण का हौसला बढ़ गया है और वे मामले को विलम्बित रखने लगे और स्वयं को सफाई साक्षी के रूप में परीक्षित कराया और वादी पर झूठे रंजिश व आरोप की बात करते रहे, जो प्रमाणित नहीं है। बचावपक्ष द्वारा पहले मामले को विलम्बित रखने के लिए दबाव व प्रभाव बनाया जाता रहा तथा आवेदक की महिला स्टाफ को धमकी न्यायालय के बाहर दी जाती रही और आवेदक की कुछ सुनवाई नहीं हुयी। अभियुक्त द्वारा बराबर यह कहा जा रहा है कि साहब से बात हो गयी है, मुकदमा छूट रहा है, बरी होने के बाद फिर बाताउंगा, उसे बर्बाद कर देंगे। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय की छवि व गरिमा को धूमिल किया जा रहा है। उक्त आधार पर आवेदक द्वारा प्रश्नगत न्यायालय से न्याय की आशा न होने का अभिकथन करते हुए उपरोक्त वाद को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किए जाने की याचना की गयी है।

3. विपक्षी सं०–1 उ०प्र० राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया तथा यह तर्क किया गया कि प्रार्थनापत्र बिना किसी ठोस तथ्यों एवं आधार के प्रस्तुत किया गया है, तदनुसार प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

Digitally signed by RANANJAY KUMAR VERMA
Date: 2026.06.10 16:24:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

4. विपक्षी सं०–2 व 3 की ओर से स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र उपरोक्त के विरूद्ध आपत्ति प्रपत्र सं० 10 ब प्रस्तुत किया गया है और यह आपत्ति की गयी है कि विपक्षी सं०–2 प्रबोध चन्द्र रस्तोगी घटना के समय औषधि निरीक्षक के पद पर कार्यरत था। घटना के समय वादी मुकदमा द्वारा बगैर लाइसेन्स के मेडिकल स्टोर का संचालन करते हुए पाए जाने पर विपक्षी द्वारा उसके विरूद्ध कार्यवाही की गयी थी, जिससे क्षुब्ध होकर आवेदक/वादी द्वारा कथित घटना के छः माह बाद फर्जी कथानक के आधार पर एक झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट विपक्षीगण के विरूद्ध दर्ज करा दी गयी, जो प्रश्नगत वाद के रूप में विचारित है। प्रश्नगत वाद के शीघ्र निस्तारण हेतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है और पत्रावली वर्तमान में अंतिम बहस के स्तर पर लम्बित है, किन्तु वादी मुकदमा जानबूझकर प्रश्नगत वाद को लम्बित रखना चाहता है। आवेदक/वादी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में विपक्षी/आपत्तिकर्ता के अधिवक्ता के उपर दोषारोपण किया गया है, जो गलत है। विपक्षी/आपत्तिकर्ता के अधिवक्ता प्रश्नगत मुकदमे में कभी भी वादी के अधिवक्ता नहीं रहे और न ही उनका वादी से कोई सम्बन्ध व लेनादेना है। प्रार्थनापत्र में लगाए गए आरोप असत्य हैं। वादी/आवेदक ने कथित जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवाई के समय अपना प्राइवेट अधिवक्ता नियुक्त किया था। प्रश्नगत वाद में अभियुक्तगण के विरूद्ध पैरवी सरकार द्वारा की जाती है और वादी सिर्फ सरकार के अधिवक्ता की सहायता कर सकते हैं, उनको अलग से कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है और शासकीय अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के विरूद्ध कोई प्रार्थनापत्र नहीं दिया गया है।वादी ने प्रश्नगत न्यायालय के विरूद्ध कोई आरोप नहीं लगाया है और न ही यह स्पष्ट किया है कि आपत्तिकर्ता के अधिवक्ता द्वारा ऐसा कौन सा कार्य किया गया है, जिससे वादी मुकदमा प्रभावित हो रहा है। मात्र कल्पना के आधार पर द्वेषवश प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र सन्देहप्रद प्रतीत होता है और तदनुसार स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना गया एवं पीठासीन अधिकारी की आख्या एवं प्रश्नगत दाण्डिक वाद की पत्रावली का परिशीलन किया गया।

6. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अयोध्या के पीठासीन अधिकारी ने अपनी आख्या दिनाँक 10.04.2026 में प्रश्नगत दाण्डिक वाद को उनके न्यायालय में लम्बित होने का तथ्य उल्लिखित करते हुए प्रार्थनापत्र में न्यायालय के विरूद्ध लगाए आरोपों को असत्य एवं बेबुनियाद होना कहा है। यह भी कथन किया है कि न्यायालय द्वारा किसी अधिवक्ता को मामले की पैरवी करने से रोका नहीं जा सकता है और वादी मुकदमा द्वारा उक्त सन्दर्भ में दिए गए प्रार्थनापत्र को गुणदोष के आधार पर न्यायलय द्वारा दिनाँक 16.07.2025 को निरस्त किया जा चुका है। न्यायालय द्वारा अनावश्यक कोई स्थगन नहीं दिया गया है तथा बिना किसी दबाव के कार्यवाही की गयी है। न्यायालय द्वारा निष्पक्ष रूप से कार्यवाही करते हुए मामले की सुनवाई की जा रही है। पीठासीन अधिकारी ने आख्या में यह भी कथन किया है कि यदि प्रश्नगत वाद को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

7. प्रस्तुत मामले में आवेदक/वादी मुकदमा द्वारा प्रश्नगत न्यायालय के प्रति अविश्वास व्यक्त करते हुए दाण्डिक वाद की पत्रावली के स्थानान्तरण की याचना की गयी है। इस न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र में न्यायालय के विरूद्ध लगाए गए आरोपों के सन्दर्भ में प्रश्नगत दाण्डिक वाद सं० 12332/2020 सरकार बनाम प्रबोध चन्द्र रस्तोगी व अन्य की पत्रावली आहूत कर उसका परिशीलन किया गया। पत्रावली के परिशीलन से यह तथ्य दर्शित होता है कि प्रश्नगत दाण्डिक वाद में अभियोजन पक्ष का साक्ष्य समाप्त होने के उपरांत अभियुक्तगण के बयान अंतर्गत धारा 313 द०प्र०सं० दिनाँक 16.08.2024 को अंकित हुआ

है और उसके उपरान्त पत्रावली सफाई साक्ष्य में नियत हुयी। सफाई साक्षी के स्तर पर अभियोजन की ओर से वादी मुकदमा/आवेदक द्वारा एक प्रार्थनापत्र दिनाँकित 09.01.2025 अभियुक्तगण के अधिवक्ता श्री रामकृष्ण तिवारी के विरूद्ध आक्षेप अभिकथित करते हुए उन्हें केस से हटाए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया, जिस पर आपत्ति आहूत करने के उपरान्त पक्षों को सुनकर प्रश्नगत न्यायालय द्वारा आदेश दिनाँक 16.07.2025 पारित करते हुए उक्त प्रार्थनापत्र को निरस्त कर दिया गया है। इसप्रकार वादी मुकदमा/ आवेदक का उपरोक्त प्रार्थनापत्र गुणदोष के आधार पर अवर न्यायालय द्वारा निस्तारित किया जा चुका है और वादी मुकदमा/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह तथ्य रखा गया कि उनके द्वारा उक्त आदेश दिनाँक 16.07.2025 के विरूद्ध कोई निगरानी, अपील या रिट याचिका किसी अग्रेतर न्यायालय में योजित नहीं किया गया है,ऐसी स्थिति में चूँकि आदेश दिनाँक 16.07.2025 इस स्तर पर अनन्तिम है, अतः वादी मुकदमा/आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र में उक्त तथ्यों को पुनः इंगित करते हुए पत्रावली के स्थानान्तरण हेतु जो तथ्य रखा गया है, वह आधारहीन है और उक्त तथ्य के आधार पर पत्रावली के स्थानान्तरण का कोई औचित्य उत्पन्न नहीं होता है। इसके अतिरिक्त वादी मुकदमा/आवेदक द्वारा स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र में प्रश्नगत न्यायालय के विरूद्ध आक्षेप अभिलिखित करते हुए उक्त न्यायालय से न्याय न मिल पाने का भी कथन किया गया है। उक्त आक्षेप के सम्बन्ध में वादी मुकदमा/आवेदक ने यह कथन किया है कि अभियुक्त द्वारा बराबर यह कहा जा रहा है कि साहब से बात हो गयी है, मुकदमा छूट रहा है, बरी होने के बाद वह उसे बर्बाद कर देंगे। आवेदक द्वारा उक्त आरोप/आक्षेप के सन्दर्भ में कोई सार्थक साक्ष्य अथवा तत्व प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में बिना किसी ठोस साक्ष्य अथवा तत्व के केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर न्यायालय के विरूद्ध कोई विपरीत अवधारणा या निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

8. प्रश्नगत वाद में विचारण की सम्पूर्ण कार्यवाही समाप्त होकर पत्रावली अंतिम बहस के स्तर पर विचाराधीन है। पत्रावली के शीघ्र निस्तारण हेतु माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश भी पारित है। जैसा कि उपरोक्त विवेचनानुसार वादी मुकदमा/आवेदक द्वारा स्थानानतरण प्रार्थनापत्र में लगाए गए आरोपों व तथ्यों को आधारहीन एवं औचित्यहीन होना पाया गया है, तथापि यह उल्लेखनीय है कि वादी मुकदमा/ आवेदक ने चूंकि प्रश्नगत न्यायालय के विरूद्ध अविश्वास व्यक्त किया गया है और इस सन्दर्भ में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विधि निर्णय **"Ram Narayan Vs. Rakesh Tandon, 2006 All.C.J. 508"** में यह अवधारित किया है कि यदि किसी पक्ष के मन में आशंका हो कि उसे न्यायालय से न्याय नहीं प्राप्त होगा और यह तथ्य सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के संज्ञान में हो, तो वहाँ ऐसे मामले को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना न्याय के हित में होगा। प्रश्नगत न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने भी अपनी आख्या में यह तथ्य उल्लिखित किया है कि यदि प्रश्नगत पत्रावली को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। तदनुसार उपरोक्त विवेचन एवं विधिक अवधारणा के आलोक में यह स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र, प्रश्नगत न्यायालय के विरूद्ध लगाए गए तथ्यों/आक्षेपों को आधारहीन मानते हुए, निस्तारित किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र 3 क निस्तारित किया जाता है।

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अयोध्या में लम्बित दाण्डिक वाद सं०–12332/2020 सरकार बनाम प्रबोध चन्द्र रस्तोगी व अन्य, अपराध सं०–421/2020, धारा 354, 354 डी, 323,

504, 506 भा०द०सं०,थाना कोतवाली नगर, जिला अयोध्या की पत्रावली को विधि अनुसार विचारण एवं निस्तारण हेतु न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट–तृतीय, अयोध्या में स्थानान्तरित किया जाता है। सम्बन्धित हस्तान्तरिति/विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त दाण्डिक वाद का विचारण एवं निस्तारण विधि अनुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण के सन्दर्भ में पारित दिशा–निर्देशों के आलोक में शीघ्रताशीघ्र करना सुनिश्चित करें।

यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि वादी मुकदमा/आवेदक द्वारा यदि प्रश्नगत दाण्डिक वाद के विचारण एवं निस्तारण में असहयोगात्मक रैवया अपनाया जाता है अथवा भविष्य में पुनः स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो यह उपधारणा की जाएगी कि वादी मुकदमा/आवेदक का उद्देश्य केवल मात्र वाद के निस्तारण को विलम्बित करना है व इसी आशय से यह स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र भी उसके द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत कर वाद का स्थानान्तरण कराया गया है।

उपरोक्तानुसार यह प्रकीर्ण वाद निस्तारित किया जाता है।

दिनाँक: 10.06.2026

(रणंजय कुमार वर्मा)
सत्र न्यायाधीश
अयोध्या।